वमिुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातयिाँ

प्रलिमि्स के लयि:

वमिुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातयिाँ, संबंधति आयोग एवं समतियिाँ, वमिुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातयिों (DWBDNC) के लयि वकिास और कल्याण बोर्ड, DNT के लयि योजनाएँ।

मेन्स के लयि:

अनुसूचति जातऔिर अनुसूचति जनजातसिे संबंधति मुद्दे, सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप, भारत में वमिुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातयिों की स्थति।

चर्चा में क्यों?

सामाजकि न्याय और अधकिारति पर संसदीय पैनल ने सरकार से SC/ST/OBC सूची के तहत **वमिुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातयिों** के वर्गीकरण के कार्य में तेज़ी लाने को कहा है क्योंकइिसमें देरी से इन समुदायों की समस्याएँ बढ़ेंगी और वे कल्याणकारी योजनाओं से वंचति रह जाएंगे।

वमिुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातयिाँ:

ये ऐसे समुदाय हैं जो सबसे सुभेद्य और वंचति हैं।

- वमिुक्त ऐसे समुदाय हैं जनिहें ब्रटिशि शासन के दौरान वर्ष**1871 के आपराधकि जनजातअिधनियिम से शुरू होने वाली कानूनों की एक शृंखला के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधसिूचति'** कयिा गया था।
  - इन अधनियिमों को स्वतंत्र **भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में नरिस्त कर दयिा गया और इन समुदायों को 'वमिुक्त' कर दयिा गया था।**
- इनमें से कुछ समुदाय जनिहें वमिुक्त के रूप में सूचीबद्ध कयिा गया था, **वे भी खानाबदोश थे।**
  - खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परभिाषति कयिा जाता है **जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।**
- ऐतहिासकि रूप से घुमंतू और वमिुक्त जनजातयिों की कभी भी नजिी भूमयिा घर के स्वामतिव तक पहुँच नहीं थी।
- अधकिांश वमिुक्त समुदाय, अनुसूचति जात(िSC), अनुसूचति जनजात(िST) और अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) श्रेणयिों में वतिरति हैं, जबककिुछ वमिुक्त समुदाय SC, ST या OBC श्रेणयिों में से कसिी में भी शामलि नहीं हैं।
- आज़ादी के बाद गठति कई आयोगों और समतियिों ने इन समुदायों की समस्याओं का उल्लेख कयिा है।
  - इनमें संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गठति **आपराधकि जनजातजिाँच समति,ि 1947** भी शामलि है।
  - **वर्ष 1949 की अनंतशयनम आयंगर समति**ि (इसी समतिकिी रपिोर्ट के आधार पर आपराधकि जनजातअिधनियिम को नरिस्त कयिा गया था)।
  - काका कालेलकर आयोग (जसिे पहला ओबीसी आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में कयिा गया था।
  - वर्ष 1980 में गठति बीपी मंडल आयोग ने भी इस मुद्दे पर कुछ सफिारशिें की थीं।
  - **संवधिान के कामकाज़ की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)** ने भी माना था कवि वमिुक्त समुदायों को अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकति कयिा गया है और कानून-व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतनिधियिों द्वारा शोषण के अधीन कयिा गया है।
    - NCRWC की स्थापना न्यायमूर्त एिम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में हुई थी।
- एक अनुमान के अनुसार, **दक्षणि एशयिा में वशि्व की सबसे बड़ी यायावर/खानाबदोश आबादी** (Nomadic Population) नविास करती है।
  - भारत में लगभग 10% आबादी वमिुक्त और खानाबदोश है।
  - जबकवि वमिुक्त जनजातयिों की संख्या लगभग 150 है, खानाबदोश जनजातयिों की जनसंख्या में लगभग 500 वभिन्नि समुदाय शामलि हैं।

खानाबदोश/घुमंतू जनजातयिों के समक्ष चुनौतयिाँ:

- **बुनयिादी अवसंरचना सुवधिाओं का अभाव:** इन समुदायों के सदस्यों के पास पेयजल, आश्रय और स्वच्छता आदसिंबंधी बुनयिादी सुवधिाएँ उपलब्ध

नहीं हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित हैं।

- **स्थानीय प्रशासन का दुर्व्यवहार:** विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के संबंध में प्रचलित गलत और अपराधिक धारणाओं के कारण आज भी उन्हें स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
- **सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव:** चूँकि इन समुदायों के लोग प्रायः यात्रा पर रहते हैं, इसलिये इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। नतीजतन उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव होता है और उन्हें **राशन कार्ड, आधार कार्ड** आदि भी नहीं जारी किया जाता है।
- इन समुदायों के बीच **जाति वर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है,** कुछ राज्यों में इन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के तहत शामिल किया जाता है।
    - इन समुदायों के अधिकांश लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता और इसलिये वे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों से संबंधित योजनाएँ:

- **DNT के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:**
    - यह केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
    - यह योजना विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के बच्चों विशेषकर बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायक है।
- **DNT बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:**
    - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
    - योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले DNT छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
- **DNT के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये योजना:**
    - इसका उद्देश्य मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और आजीविका पहल प्रदान करना है।
    - यह **वर्ष 2021-22 से अगले पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपए का खर्च सुनिश्चित** करेगा।
    - **गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (DWBDNC)** के लिये विकास और कल्याण बोर्ड को इस योजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है।
- **DWBDNC:**
    - कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के तत्त्वावधान में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत DWBDNC की स्थापना की गई थी।
    - DWBDNC का गठन 21 फरवरी, 2019 को भीकू रामजी इदते की अध्यक्षता में किया गया था।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/denotified,-nomadic,-semi-nomadic-tribes